प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 2507/2005

याचिकाकर्ता - झाडू राम

बनाम

उत्तरवादीगण - छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल एवं एक अन्य

आदेश हेतु दिनांक 15.05.2007 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 2507/2005

याचिकाकर्ता - झाडू राम

बनाम

उत्तरवादीगण - छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल एवं एक अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

....

श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित श्री जे.के. गुप्ता, अधिवक्ता — याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री पी.एस. कोशी, अधिवक्ता — उत्तरवादीगण की ओर से।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

....

आदेश

(दिनांक 05 मई, 2007 को पारित)

(1) इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने यह अनुतोष मांग की है कि उसकी दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई सेवाओं को जोड़कर न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण मानी जाए तथा उसे पेंशन एवं ग्रेच्युटी प्रदान की जाए।

(2) निर्विवाद तथ्य संक्षेप में यह हैं कि याचिकाकर्ता को दिनांक 24.09.1974 से दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य पर रखा गया। तत्पश्चात उसकी सेवाएं दिनांक 24.12.1986 से नियमित की गईं। इसके बाद, आदेश दिनांक 27.10.1990 (अनुलग्नक पी./1) द्वारा याचिकाकर्ता को कार्य-भारित चालक के रूप में अस्थायी रूप से वेतनमान ₹1090–1950 में नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ता दिनांक 25.03.1995 को अधिवर्षिकह की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हुआ। उसे पत्र दिनांक 29.11.1995 (अनुलग्नक पी./3) द्वारा सूचित

किया गया कि उसने पेंशन हेतु आवश्यक न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, अतः वह पेंशन का अधिकारी नहीं है।

(3) श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, अपने सहयोगी अधिवक्ता के साथ, यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता 24.09.1974 से निरंतर सेवा में था और उसकी सेवाएं 24.12.1986 से नियमित की गईं। उन्होंने श्रम न्यायालय के आदेश दिनांक 17.12.1984 पर भी भरोसा किया, जिसमें याचिकाकर्ता को उसके पूर्व पद पर सेवा की निरंतरता के साथ पुनःस्थापित करने का निर्देश दिया गया था। अतः याचिकाकर्ता का दावा है कि दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई सेवा को भी पेंशन की गणना में जोड़ा जाना चाहिए।

(4) इसके विपरीत, उत्तरवादियों की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उत्तरवादी बोर्ड ने म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 को अपनाया है। उक्त नियमों के अनुसार दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई सेवा को पेंशन हेतु नहीं जोड़ा जा सकता। याचिकाकर्ता की सेवाएं 24.12.1986 से कार्य-भारित कर्मचारी के रूप में नियमित की गईं और वह 25.03.1995 को सेवानिवृत्त हुआ। इस प्रकार उसने पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण नहीं की, अतः वह पेंशन लाभ का अधिकारी नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध याचिका एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता की नियमित सेवा 24.12.1986 से प्रारंभ मानी जाएगी, जब उसकी सेवाएं नियमित की गईं। इससे पूर्व दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई सेवा को नियमित सेवा नहीं माना जा सकता। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जो नियुक्ति भारत के संविधान की संवैधानिक योजना के विपरीत अथवा विधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है—जैसे दैनिक वेतन, संविदा या अस्थायी आधार पर—वह वैध नियुक्ति नहीं मानी जाती और ऐसे कर्मचारी को नियमित सेवा के लाभ या निरंतरता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता।

(6) याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि श्रम न्यायालय ने आदेश दिनांक 17.12.1984 द्वारा याचिकाकर्ता को पूर्व पद पर सेवा की निरंतरता के साथ पुनःस्थापित करने का निर्देश दिया था। इस संबंध में यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश दैनिक वेतनभोगी के रूप में ही पुनःस्थापना का था, न कि नियमित नियुक्ति का। अतः ऐसी सेवा को नियमित सेवा के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता।

(7) म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 12 (उप-नियम 2) "अर्हकारी सेवा का प्रारंभ" तथा नियम 43 (उप-नियम 2) "पेंशन की राशि" का संयुक्त पठन इस प्रकार है :-

नियम 12 (1) XXX XXX XXX XXX

(2) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, किसी शासकीय सेवक की अर्हतादायी सेवा उस दिनांक से प्रारंभ होगी जिस दिनांक को वह किसी पद का जिस पर वह पहली बार स्थायी अथवा स्थानापन्न अथवा अस्थायी रूप से नियुक्त हुआ है, कार्यभार ग्रहण करता है ।

नियम 43 (1) इन नियमों के उपबंधों के अन्तर्गत 10 वर्ष से अधिक अर्हकारी सेवा पूर्ण करने के पश्चात् सेवा निवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के मामलों में, पेंशन की धनराशि वह होगी जैसी कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जावे।

(8) म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के सुसंगत प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा 10 वर्ष निर्धारित है। निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता की सेवाएं दिनांक 24.12.1986 से नियमित की गईं और वह दिनांक 25.03.1995 को सेवानिवृत्त हुआ। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने आवश्यक 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण नहीं की, अतः वह पेंशन का अधिकारी नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(9) यह भी परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता ने सेवा से सेवानिवृत्ति (25.03.1995) के तुरंत पश्चात न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया, बल्कि लगभग 10 वर्षों के अत्यधिक एवं अस्पष्टीकृत विलंब के बाद यह याचिका प्रस्तुत की। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने अपने अधिकार पर स्वयं ही विलंब किया है।

(10) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड बनाम दीनबंधु मजूमदार एवं एक अन्य**[1] में यह प्रतिपादित किया है :-

"किसी कर्मचारी द्वारा समय पर आपत्ति न उठाना ही पर्याप्त कारण है कि उच्च न्यायालय ऐसी याचिकाओं को स्वीकृत न करे, विशेषकर जब वे स्वीकृति, अनुचित विलंब तथा असावधानी से पीड़ित हों।"

(11) इसी प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम के. थंगप्पन में यह कहा है :-

> "विलंब और अतिविलंब से ग्रस्त याचिकाओं में, जहाँ याचिकाकर्ता ने अपने अधिकारों के प्रति असावधानी बरती हो और पर्याप्त कारण प्रस्तुत न किया हो, वहाँ संवैधानिक न्यायालयों को अपने विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसी याचिकाओं को अस्वीकार करना चाहिए।"

(11) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अपने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा एक अन्य के माध्यम से बनाम के. थंगाप्पन एवं एक अन्य**[2] में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :-

> "विलंब अथवा अतिविलंब उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, जिन्हें उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग करते समय ध्यान में रखना चाहिए। उपयुक्त मामलों में, यदि याचिकाकर्ता द्वारा अपने अधिकारों के प्रति असावधानी या चूक प्रदर्शित होती है और समय के व्यतीत होने से प्रतिपक्ष को हानि पहुँचती है, तो

1 (1995) 4 SCC 172
2 (2006) 4 SCC 322

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उच्च न्यायालय अपने असाधारण अधिकारों का प्रयोग करने से इंकार कर सकता है। यहाँ तक कि जहाँ मौलिक अधिकार का प्रश्न भी हो, तब भी यह विषय न्यायालय के विवेकाधीन क्षेत्र में ही रहता है, जैसा कि दुर्ग प्रसाद बनाम मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक में कहा गया है। तथापि, यह विवेक न्यायोचित एवं युक्तिसंगत ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए।"

(12) उच्च न्यायालय अपने विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग करते हुए सामान्यतः उन याचिकाकर्ताओं की सहायता नहीं करता जो विलंबकारी, निष्क्रिय, स्वीकृतिपूर्ण या शिथिल हों, क्योंकि विलंब से की गई याचिका अन्य पक्षकारों के अधिकारों का हनन कर सकती है।

(13) समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का सम्यक् अवलोकन करने पर इस याचिका में किसी भी दृष्टि से कोई सार नहीं है। अतः यह याचिका खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**